सं०–02 / रा०प०(परी०)–13 / 2020–................................. /

राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची ।

E-Mail/
निबंधित

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दि०–........................./

विषयः– जिला, अनुमंडल एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों (कार्य विभाग सहित) के लिपिकों की प्रथम् एवं द्वितीय अर्द्धवार्षिक लेखा परीक्षा, 2020 के आयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला, अनुमंडल एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों (कार्य विभाग सहित) के लिपिकों की प्रथम् एवं द्वितीय अर्द्धवार्षिक लेखा परीक्षा, 2020 का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा:–

परीक्षा कार्यक्रम

(1) दिनांक –05.12.2020– (शनिवार)–प्रथम् पत्र – 09 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक।

(2) दिनांक –05.12.2020 –(शनिवार)–द्वितीय पत्र – 02 बजे अपराह्न से 05 बजे अपराह्न तक।

(3) दिनांक –06.12.2020–(रविवार) –तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम् पत्र – 09 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक।

संबंधित जिला उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 10.11.2020 (मंगलवार) निर्धारित की जाती है । उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जाय।

2. सभी परीक्षार्थी (लिपिक) अपने पदस्थापन के स्थान से संबंधित जिला मुख्यालय में परीक्षा में शामिल होंगे ।

3. सभी जिला उपायुक्त कोविड–19 के प्रसार के रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करेगें।

4. तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम् पत्र की परीक्षा दूसरे दिन प्रथम् पाली में आयोजित की जायेगी । तीनों पत्र क्रमशः वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड (वन प्रभाग), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड (निबंधन प्रभाग) तथा कार्य विभाग (जल संसाधन विभाग एवं पथ निमार्ण विभाग, झारखण्ड, राँची) के लिपिकों के लिए अतिरिक्त पत्र के रूप में चिन्हित है ।

कृ० पृ० उ०

5. परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सूची पुरा नाम, पदनाम एवं पते के साथ हिन्दी वर्णानुक्रम में तैयार करके सभी प्रश्न पत्रों के लिए एक ही अंक संकलन पत्र में दर्ज की जाए । अंक संकलन पत्र में संबंधित कॉलम में परीक्षा स्तर (अंतिम/प्रारंभिक) अवश्य दर्ज किया जाए । जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल न हो उनका नाम अंक संकलन पत्र में अंकित नहीं किया जाए ।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति (ST/SC) कोटि के परीक्षार्थियों का नाम के सामने कोटि का उल्लेख अवश्य कर दिया जाए जिससे इस वर्ग विशेष के लिए अनुमान्य लाभ उन्हें दिया जा सके ।

7. परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सूची पत्रवार तैयार करके दिनांक–27.11.2020 तक ई मेल के माध्यम से राजस्व पर्षद कार्यालय को अवश्य प्राप्त करा दें जिससे परीक्षा सामग्री समुचित मात्रा/संख्या में निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध करायी जा सके ।

8. प्रश्न–पत्र, उत्तर पुस्तिकाएँ, अंक संकलन पत्र, उपस्थिति पत्र आदि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत दूत को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या एवं सूची के साथ पर्षद कार्यालय में दिनांक 03.12.2020 (गुरूवार) एवं 04.12.2020 (शुक्रवार) तक निश्चित रूप से भेज दें ।

गत परीक्षा के आयोजन के क्रम में यह देखा गया है कि जिला स्तर पर अंक संकलन पत्र तैयार करने तथा परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या प्रेषित करने में पर्षदीय निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण परीक्षाफल तैयार करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

8/10/2020

संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड ।

ज्ञापांक– 2/रा० प०(परी०)–13/2020– 5231/रा०प० दिनांक– 8.10.2020

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/10/2020

संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड ।

देवघर समाहरणालय
जिला स्थापना शाखा,
ज्ञापांक 628 / स्था० दिनांक 13-X-2020

प्रतिलिपि:– सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/10/20

स्थापना उप समाहर्ता,
देवघर